भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3123

गुरूवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक)

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के उपाय

3123. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आलोक में, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों सहित बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभों और कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल को सुदृढ़ करने और नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में वर्ष 7.7% से घटकर वर्ष 2023-24 में 5.1% हो गई है।

शहरी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई),

ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि कार्यांवित कर रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से शहरी क्षेत्रों सहित पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल में सुधार एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है और यह हितधारकों के सुझावों और आवश्यकताओं पर आधारित है। अब तक, पोर्टल को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों में उद्यम, ई-श्रम, स्किल इंडिया पोर्टल, ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमएचआरडी, डिजीलॉकर जैसे सरकारी पोर्टलों और विभिन्न राज्यों के रोजगार पोर्टलों के साथ एकीकरण, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि जैसे सरकारी भर्ती निकायों के साथ भी संबंध शामिल है। ताकि अचयनित उम्मीदवारों के अंक अन्य नियोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जा सके जिससे उन्हें नियोजनीय उम्मीदवारों की पहचान करने में सहायता मिल सके। इसके अलावा, मंत्रालय ने नौकरी चाहने वालों को अवसर प्रदान करने के लिए कई निजी नौकरी पोर्टलों के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं को करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न जिलों में 7 गैर-वित्त पोषित एमसीसी सहित 407 मॉडल करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, एनसीएस विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भर्ती एजेंटों (आरए) को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों को पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है ताकि देश के नौकरी चाहने वालों को वैश्विक नौकरी के अवसरों से परिचित करवाया जा सके।

केंद्रीय बजट 2024-25 में, सरकार ने रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **2** करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए 1,07,000/- करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ, "रोजगार और कौशल के लिए प्रधान मंत्री पैकेज" के एक हिस्से के तौर पर रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है और औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नियुक्त कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करती है। बजट घोषणा के अनुसार, प्रस्तावित योजना के अंतर्गत नामांकन की अवधि दो वर्ष है। एक लाख रुपये प्रति माह तक वेतन वाले पहली बार नियुक्त कर्मचारी/दोबारा नियुक्त कर्मचारी ईपीएफओ में अपने नामांकन के आधार पर पात्र होंगे।

योजना के डिजाइन पर सुझाव प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। इस संबंध एक प्रभावी आउटरीच रणनीति तैयार की गई है।

*****